न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 55/2019
GCMS Case No. 2019/00189

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		श्री जगदीश पुत्र श्री दौलाराम जाति भाट निवासी 760 राजेन्द्र नगर पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली राजस्थान

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.5.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 15.10.2019 को गैरसायल जगदीश पुत्र श्री दौलाराम जाति भाट निवासी 760 राजेन्द्र नगर पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2003 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। सभी प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	निर्णय/दिनांक	न्यायालय का नाम
1	129/3	धारा 13 आरपीजीओ	सजा	श्रीमान सीजेएम पाली
2	90/19.04.2015	धारा 13 आरपीजीओ	04.06.2015/ 50रूपये जुर्माना	श्रीमान जे.एम. नम्बर 2 पाली
3	76/17.03.2017	धारा 13 आरपीजीओ	12.04.2017/ 100 रूपये जुर्माना	श्रीमान जे.एम. नम्बर 2 पाली

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल जगदीश पुत्र श्री दौलाराम जाति भाट निवासी 760 राजेन्द्र नगर पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली आदतन व आलेदर्जे का जुआरी है। जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के जुआ खेलने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैर सायल की और से अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अभियोजन अधिकारी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली का अव्वल दर्जे का जुआरी है, जिससे विरूद्ध पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली में प्रकरण पेश करने तक कुल 03 प्रकरण दर्ज है तथा गैरसायल को न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय जेएम नम्बर 2 पाली ने मुकदमा नम्बर 118/15, में पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 के द्वारा गैरसायल को धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत दोषसिद्ध घोषित कर 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार माननीय जेएम नम्बर 2 पाली ने मुकदमा नम्बर 358/17 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 के द्वारा गैरसायल को धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ के तहत 100 रूपये का जुर्माना से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल जगदीश पुत्र श्री दौलाराम जाति भाट निवासी 760 राजेन्द्र नगर पाली पुलिस थाना औद्यौगिक क्षैत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 13.6.24 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में बारह बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल जगदीश पुत्र दौलाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली गैरसायल जगदीश पुत्र दौलाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी रोहट जिला पाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली एवं थानाधिकारी रोहट जिला पाली को भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली